आदर्श आचार संहिता

प्रलिम्सि के लयि:

[आदर्श आचार संहति](), [जन प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951](), [चुनावी बॉण्ड](),

मेन्स के लयि:

आदर्श आचार संहति का वकिास, चुनावों में MCC का महत्त्व और आलोचनाएँ। चुनावी प्रथाएँ, चुनावी सुधार, MCC के माध्यम से लोकतंत्र सुनश्चिति करना, चुनावी फंडगि

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस]()

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत नरि्वाचन आयोग]() द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लयि मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ [आदर्श आचार संहति]() (MCC) लागू हो गई है, जो चुनावी शासन के एक महत्त्वपूर्ण पहलू को चह्निति करती है।

MCC क्या है और इसका वकिास क्या है?

- **परचिय:**
  - MCC एक **सर्वसम्मत दस्तावेज़** है। राजनीतकि दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नयिंत्रति रखने और संहति के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
  - यह चुनाव आयोग को संवधिान के **अनुच्छेद 324 के तहत दयि गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता** है, जो उसे संसद और राज्य वधिानमंडलों के लयि [स्वतंत्र तथा नष्पिक्ष चुनावों]() की नगिरानी एवं संचालन करने की शक्त‍ि देता है।
  - **MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परणिाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहता** है।
  - संहति **लागू रहने के दौरान सरकार कसिी वत्तिीय अनुदान की घोषणा** नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुवधिाओं के नरि्माण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनकि उपक्रम में कोई तदर्थ नयिुक्त‍ि कर सकती है।
- **MCC की प्रवर्तनीयता:**
  - हालाँक‍ि **MCC के पास कोई वैधानकि समर्थन नहीं** है, लेकनि चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन के कारण पछिले दशक में इसे ताकत मलिी है।
    - MCC के कुछ प्रावधानों को [भारतीय दंड संहति 1860](), [दंड प्रक्रयिा संहति 1973]() **और** [जन प्रतनिधित्वि अधनियिम 1951]() जैसे अन्य कानूनों में संबंधति प्रावधानों को लागू करके लागू कयिा जा सकता है।
- **MCC का वकिास:**
  - **केरल चुनाव के लयि आचार संहति अपनाने वाला पहला राज्य** था। वर्ष 1960 में राज्य में वधिान सभा चुनावों से पहले, प्रशासन ने जुलूस, राजनीतकि रैलयिों और भाषणों जैसे चुनाव प्रचार के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को शामलि करते हुए एक मसौदा संहति तैयार की।
  - **वर्ष 1974 में [ECI]() ने एक औपचारकि MCC जारी कयिा** और साथ ही इसके कार्यान्वयन की नगिरानी के लयि ज़लिा स्तर पर नौकरशाही नकिाय भी स्थापति कयि गए। **वर्ष 1977 से पूर्व MCC केवल राजनीतकि दलों और उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करती थी।**
  - वर्ष 1979 में नरि्वाचन आयोग के संज्ञान में आया क‍ि **सत्तारूढ़ दल** सार्वजनकि स्थानों पर एकाधकिार स्थापति करने और वज्ञिापन के लयि सार्वजनकि धन का उपयोग कर **सत्ता का दुरुपयोग** कर रहे हैं। **नरि्वाचन आयोग ने** सत्तारूढ़ राजनीतकि दलों से संबंधति इस मुद्दे का समाधान करने हेतु **MCC में संशोधन कयिा।**
  - संशोधति MCC के सात भाग शामलि थे, जनिमें से एक भाग **नरि्वाचन की घोषणा के उपरांत सत्तारूढ़ दलों के व्यवहार** से संबंधति था।
    - भाग I: उम्मीदवारों और पार्टयिों के लयि सामान्य अच्छा व्यवहार।
    - भाग II और III: सार्वजनकि बैठकों और जुलूसों से संबंधति नयिम।
    - भाग IV और V: मतदान के दनि और मतदान केंद्रों पर व्यवहार के लयि दशिा-नरि्देश।
  - MCC में वर्ष 1979 के बाद से कई अवसरों पर संशोधन कयिा गया। इसमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2014 में कयिा गया था।

MCC से संबंधित प्रमुख उपबंध:

- **सामान्य आचरण:**
  - कोई दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न-भिन्न **जातियों और समुदायों,** चाहे वे **धार्मिक या भाषायी** हों, **के बीच** विद्यमान मतभेद को और अधिक बिगाड़े अथवा परस्पर घृणा उत्पन्न करे अथवा उनके बीच **तनाव उत्पन्न करे**।
    - इसी प्रकार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) लोगों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने के लिये धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के उपयोग और इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है।
  - जब **राजनीतिक दलों की आलोचना** की जाए तो **वैयक्तिक हमलों से बचते हुए** उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड तथा कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा।
- **बैठक और जुलूस:**
  - पार्टियों को किसी भी **बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करेंगे** ताकि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।
  - यदि **दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं**, तो राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने के लिये पहले से संपर्क कर लेना करना चाहिये ताकि जुलूस में **आपसी टकराव न हो।**
  - राजनीतिक दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों को **पुतले ले जाने और जलाने** की **अनुमति नहीं** है।
- **मतदान के दिन:**
  - केवल मतदाताओं और चुनाव आयोग से प्राप्त वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति है।
  - मतदान केंद्रों पर सभी **अधिकृत पार्टी कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बैज अथवा पहचान-पत्र दिया जाना** चाहिये।
    - उनके द्वारा **मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे (सफेद) कागज़ पर** होंगी और उनमें कोई प्रतीक, **उम्मीदवार का नाम अथवा दल का नाम नहीं** होगा।
    - चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा जिनके पास कोई भी **उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट** कर सकता है।
- **दल सत्ता में:**
  - MCC द्वारा वर्ष 1979 में सत्ता में रहे दल के आचरण को विनियमित करते हुए कुछ प्रतिबंध लागू किये। मंत्रियों को **आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिये अथवा इसके लिये आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं** करना चाहिये।

MCC से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **प्रवर्तन चुनौतियाँ:** MCC का प्रवर्तन असंगत या अपर्याप्त हो सकता है, जिससे उल्लंघन हो सकता है और **वैधानिक समर्थन की कमी के कारण दंडित नहीं** किया जा सकता है।
  - **ECI, MCC** के **वैधीकरण का विरोध** करता है, जिसमें **लगभग 45 दिनों के भीतर चुनावों को तीव्रता से पूरा करने की आवश्यकता** का हवाला दिया गया है, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण कानूनी प्रवर्तन अव्यावहारिक हो गया है।
- **अस्पष्टता:** MCC के कुछ प्रावधान अस्पष्ट या व्याख्या के लिये खुले हो सकते हैं, जिससे राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के बीच भ्रम उत्पन्न हो सकता है।
- **सीमित दायरा**: आलोचकों का तर्क है कि MCC के दायरे को **चुनावी फंडिंग, सोशल मीडिया के उपयोग तथा घृणास्पद भाषण सहित व्यापक मुद्दों को कवर करने के लिये विस्तारित** किया जाना चाहिये।
- **समय संबंधी मुद्दे**: MCC केवल चुनाव अवधि के दौरान ही प्रभावी होता है, जिससे इस अवधि के बाद **कदाचार की गुंजाइश बनी रहती** है।
- **शासन व्यवस्था पर प्रभाव**: कुछ लोगों का तर्क है कि चुनाव अवधि के दौरान सरकारी घोषणाओं और गतिविधियों पर MCC के प्रतिबंध **शासन के कामकाज में बाधा उत्पन्न** कर सकते हैं।
- **सुधार की आवश्यकता**: MCC की कमियों को दूर करने तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये इसमें सुधार की मांग की जा रही है।

आगे की राह

- **प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना:** सभी राजनीतिक दलों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु MCC दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिये तंत्र को बढ़ाना।
- **प्रावधानों को स्पष्ट करना:** अस्पष्टता को कम करने तथा बेहतर समझ एवं अनुपालन की सुविधा के लिये MCC नियमों की स्पष्टता और विशिष्टता में सुधार करना। इस प्रकार यह **एक संहिताबद्ध और व्यापक MCC की आवश्यकता** है।
- **नए ज़रूरतों के अनुसार दायरा बढ़ाना:** डिजिटल प्रचार एवं चुनावी फंडिंग पारदर्शिता जैसे उभरते मुद्दों के समाधान के लिये **MCC** के कवरेज को व्यापक बनाने पर विचार करना।
- **MCC को वैध बनाना:** MCC को वैधानिक रूप से संस्थागत बनाने के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना, इसे बढ़ी हुई प्रभावशीलता और प्रवर्तनीयता के लिये वैधानिक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।
  - **वर्ष 2013 में, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर स्थायी समिति ने MCC** को **वैधानिक रूप से** बाध्य करने और इसे RPA- 1951 में एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा।
  - **चुनावी सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990)** ने सुझाव दिया कि MCC की कमज़ोरी को **वैधानिक समर्थन देकर** और कानून के माध्यम से लागू करने योग्य बनाकर दूर किया जा सकता है।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** मतदाताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को MCC अनुपालन के महत्त्व एवं निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिये अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।
- **निरंतर समीक्षा:** उभरती चुनावी गतिशीलता और चुनौतियों से निपटने के लिये MCC के नियमित मूल्यांकन और अनुकूलन के लिये एक रूपरेखा

स्थापित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- आदर्श आचार संहिता (MCC) **लोकतंत्र के लिये एक दिशा सूचक/मार्गदर्शक** के रूप में कार्य करती है, लेकिन घटती प्रतिबद्धता और बढ़ते उल्लंघनों के साथ चुनौतियों का सामना करती है। इसे वैध बनाने से निर्वाचन आयोग को भ्रष्टाचार से निपटने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का अधिकार मिल सकता है, जो **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता एवं विश्वसनीयता** को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

और पढ़ें- [भारत निर्वाचन आयोग में पारदर्शिता]

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच-सदस्यीय निकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (d)

??????:

Q. आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिये। (2022)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/model-code-of-conduct-4